भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.787
04 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

केरल में पीएमएवाई-यू का कार्यान्वयन

+787.**डॉ. शशि थरूरः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केरल में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत स्वीकृत**,** निर्मित और निर्माण किए जाने के लिए शेष घरों की संख्या कितनी है**;**
(ख) क्या पीएमएवाई के अंतर्गत अनुसूचित जाति (अ.जा.) के कई लाभार्थी केंद्र और राज्य सरकारों से निधि की कमी के कारण अपने घरों का निर्माण पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं**;**
(ग) यदि हां**,** तो अनुसूचित जाति समुदायों के लिए शेष घरों के निर्माण में अनिश्चितता को दूर करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं**;** और
(घ) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के दूसरे चरण के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र और राज्य स्तरों पर निधि जारी करने में विलंब को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है**?**

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) को कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य केरल राज्य सहित देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करना है। पीएमएवाई-यू योजना की कार्यान्वयन अवधि, जो पहले 31.03.2022 तक थी, उसे वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

केरल राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, अब तक, पीएमएवाई-यू के तहत योजना शुरू होने के बाद से अब तक अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के 19,262 पात्र लाभार्थियों सहित कुल 1.62 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 1.55 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू किया

गया; जिनमें से अब तक 1.38 लाख सौंपे/पूरे किए जा चुके हैं। शेष आवास निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। केरल राज्य के लिए 2,700.71 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है; जिसमें से केरल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपालन के आधार पर राज्य को अब तक 2,499.36 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

केरल राज्य ने निधियों की कमी के कारण आवासों का निर्माण पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के ऐसे किसी मुद्दे की सूचना नहीं दी है। आज की तिथि में, केरल राज्य के पास एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) खाते में 12.19 करोड़ रुपये और एसएनए-स्पर्श में 98.46 करोड़ रुपये अव्ययित हैं। पीएमएवाई-यू दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर राज्य को आगे की निधियां जारी की जाएगी। राज्य सरकार लाभार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार बैंकों/आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) या स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से ऋण के माध्यम से लाभार्थी हिस्सा जुटाने में भी मदद कर सकती है ताकि वे आवासों का निर्माण पूरा कर सकें।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों का सहायता प्रदान करने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए दिनांक 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वयन किया गया है। इस योजना के दिशा-निर्देशों को https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf पर देखा जा सकता है।

अब तक, केरल को छोड़कर सभी राज्यों ने योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर नहीं करने से, राज्य के लगभग 2-3 लाख संभावित लाभार्थी पक्के आवास के अवसर खो रहे हैं।

*****